उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-सूची

गुरुवार, 10 वैशाख शक संवत् 1948

(दिनांक 30 अप्रैल, 2026 ई0)

समय: **11.00** बजे पूर्वाह्न

----

1. शुभारम्भ, 'वन्दे मातरम्'।

देखिये नत्थी (क)।

2. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखेंगे।

3. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखेंगे।

8-अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-625/52-4-2025-4099/42-2023, दिनांक 13 मार्च, 2026 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026" को भारत सरकार के आनंद विवाह अधिनियम, 1909 की धारा-6 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

9. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि: -

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 फरवरी, 2026 को वापस प्राप्त हो गया।

10. प्रमुख सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि: -

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का तेरहवाँ अधिनियम बन गया।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का चौदहवाँ अधिनियम बन गया।

(3) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का पंद्रहवाँ अधिनियम बन गया।

(4) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का सोलहवाँ अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 फरवरी, 2026 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवाँ अधिनियम बन गया।

(6) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 फरवरी, 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवाँ अधिनियम बन गया।

11. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं, यदि कोई हों।

12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

13. नियम-315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा: -

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा नियम-225 के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देंगे।

सिफारिशों की सूचना के लिये देखिये नत्थी (ख),

14. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हो।

15. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 'नारी सशक्तिकरण' के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर अनवरत् चर्चाः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि 'भारत का संविधान' में लैंगिक समानता की अवधारणा प्राविधानित है। महिलाओं को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, परन्तु अभी तक उन्हें संविधान की मंशा के अनुरुप अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका है। राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को निर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अतः संविधान की मंशा के अनुरुप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' एन.डी.ए. की सरकार ने पारित कराया है परन्तु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इन बाधाओं को चिन्हित कर उनका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु 'नारी सशक्तिकरण' विषय पर 5 घण्टे की चर्चा।''

16. राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' देखिये नत्थी (ग)।

आज्ञा से,

लखनऊ:
दिनांक 30 अप्रैल, 2026 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

****

नत्थी (क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अप्रैल, 2026 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैं:-

दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 'नारी सशक्तिकरण' के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर 5 घण्टे की अनवरत् चर्चा।

दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के उपवेशन का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय:-

अप्रैल, 2026	
30 शुक्रवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
	2- महिला सशक्तिकरण पर अनवरत् चर्चा।

नत्थी (ग)

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंध–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

——————